सं.3/1/2017-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाना - दुर्गम स्थल भत्ते में सम्मिलित विशेष प्रतिकर भत्ते प्रदान किया जाना।

राष्ट्रपति, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने के परिणास्वरूप और विशेष प्रतिकर भत्ते अर्थात् विशेष प्रतिकर (सुदूर स्थल) भत्ता, प्रतिकूल जलवायु भत्ता, विशेष प्रतिकर अनुसूचित/जनजातीय क्षेत्र भत्ता और सुंदरबन भत्ता जिन्हें दुर्गम स्थल भत्ते में मिला दिया गया है, प्रदान किए जाने के विद्यमान आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इन विशेष प्रतिकर भत्तों (दुर्गम स्थल भत्ते में सम्मिलित) की दरें विनिश्चित करते हैं:-

क्र.सं.	भत्ते का नाम	श्रेणी	कोष्ठिका का नाम	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	दर प्रतिमाह (रुपए में)
I.	**विशेष प्रतिकर (सुदूर स्थल) भत्ताः** (i) विशेष प्रतिकर (सुदूर स्थल) भत्ता भाग-क और ख (अनुबंध-I और II) में शामिल स्थान	दुर्गम स्थल भाग-I	आर3एच1	लेवल 9 और उससे ऊपर लेवल 8 और उससे नीचे	5,300 4,100
	(ii) विशेष प्रतिकर (सुदूर स्थल) भत्ता भाग-ग (अनुबंध-III) में शामिल स्थान	दुर्गम स्थल भाग-II	आर3एच2	लेवल 9 और उससे ऊपर लेवल 8 और उससे नीचे	3,400 2,700
	(iii) विशेष प्रतिकर (सुदूर स्थल) भत्ता भाग-घ (अनुबंध-IV) में शामिल स्थान	दुर्गम स्थल भाग-III	आर3एच3	लेवल 9 और उससे ऊपर लेवल 8 और उससे नीचे	1,200 1,000
II.	**प्रतिकूल जलवायु भत्ता**	दुर्गम स्थल भाग-III	आर3एच3	लेवल 9 और उससे ऊपर लेवल 8 और उससे नीचे	1,200 1,000
III.	**जनजातीय क्षेत्र भत्ता**	दुर्गम स्थल भाग-III	आर3एच3	लेवल 9 और उससे ऊपर लेवल 8 और उससे नीचे	1,200 1,000
IV.	**सुंदरबन भत्ता**	दुर्गम स्थल भाग-III	आर3एच3	लेवल 9 और उससे ऊपर लेवल 8 और उससे नीचे	1,200 1,000

2. जब पुनरीक्षित वेतन संरचना में देय महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा, इन दरों में स्वत: 25% की वृद्धि हो जाएगी।

3. पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'वेतन लेवल' शब्द से अभिप्राय वेतन मैट्रिक्स में 'लेवल' से है।

4. उन कर्मचारियों के संबंध में, जो अपनी पुनरीक्षण-पूर्व वेतन-संरचना/वेतनमानों में बने रहने का विकल्प चुनते हैं, इन आदेशों के तहत इस भत्ते का निर्धारण 01.01.2016 को धारित पद, जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 में दर्शाया गया है, के वेतन मैट्रिक्स में संगत लेवल के अनुरूप होगा।

5. दुर्गम स्थल भत्ता-III के रूप में वर्गीकृत सुन्दरबन भत्ता, **डेम्पियर हॉज लाइन के दक्षिण में सुन्दरबन क्षेत्रों यथा, भागतुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बागना), झींगा खली, सजनाखली, गोसाबा, अमलामथी (बिद्या), केनिंग, कुल्तली, पियाली. नलगरहा, रायदिघी, भांची, पाथर परतिमा, भगबतपुर, सप्तमुखी, नमखाना, सिकारपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुएमारी, कुल्तोला, घूसिघाट (कुल्ती) क्षेत्र** में कार्यरत केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगा।

6. दुर्गम स्थल भत्ता-III के रूप में वर्गीकृत अनुसूचित/जनजातीय क्षेत्र भत्ता और प्रतिकूल जलवायु भत्ता केवल उन्हीं राज्यों में स्वीकार्य होगा जहां अनुसूचित/जनजातीय क्षेत्र भत्ता और प्रतिकूल जलवायु भत्ता स्वीकार्य हैं और उन राज्यों में जहां इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए समाप्त कर दिया गया है, ऐसे समापन की तारीख(तारीखों) से समाप्त कर दिया जाएगा।

7. किसी स्थान के एक से अधिक वर्ग में आने की स्थिति में, दुर्गम स्थल भत्ते की उच्चतर दर लागू होगी।

8. दुर्गम स्थल भत्ता विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ स्वीकार्य नहीं होगा। तथापि, कर्मचारियों के पास मूल वेतन के 10% की पुनरीक्षित दर पर विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ-साथ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की पुरानी दरों पर विशेष प्रतिकर (सुदूर स्थल) भत्ता जारी रखने का विकल्प होगा।

9. कर्मचारी या तो कठिन क्षेत्र भत्ता जो द्वीप विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ स्वीकार्य है या उपर्युक्त पैरा 1 में यथा-उल्लिखित दुर्गम स्थल भत्ते में सम्मिलित किए गए विशेष प्रतिकर भत्ते में से एक भत्ते को चुनने के अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

10. **ये आदेश 01 जुलाई, 2017 से लागू हैं।**

11. ये आदेश उन सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्हें "रक्षा सेवा प्राक्कलनों" से भुगतान किया जाता है और यह व्यय "रक्षा सेवा प्राक्कलनों" के संगत शीर्ष में प्रभारित किया जाएगा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में आदेश अलग से क्रमश: रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

12. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए गए हैं।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग - मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि: नियंत्रक महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।

अनुबंध-I

व्यय विभाग के 19 जुलाई, 2017 के

कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2017-ई.II(बी) का अनुबंध

दुर्गम स्थल भत्ते-I में सम्मिलित विशेष प्रतिकर (सुदूर स्थल) भत्ता प्रदान किए जाने के लिए पात्र क्षेत्र

भाग 'क' में शामिल किए गए क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य का नाम	शामिल किए गए क्षेत्र
1.	**अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**	मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, लिटिल अंडमान, निकोबार और नारकोण्डम द्वीपसमूह।
2.	**अरुणाचल प्रदेश**	अरुणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्र
3.	**हिमाचल प्रदेश**	**1. चम्बा जिला** (क) पांगी तहसील (ख) भरमौर तहसील की निम्नलिखित पंचायतें और गांव: (i) पंचायतें: बड़गांव, बजोल, देवल कुगती, नयागाम और टुण्डा। (ii) गांव: ग्राम पंचायत जगत का घाटू, ग्राम पंचायत चौहटा का कनारसी।
		(2) किन्नौर जिला (क) असरंग, चित्कुल और हांगो कूनो/चरंग पंचायतें। (ख) छोटा खंबा, नाथपा और रूपी की ग्राम पंचायतों वाला 15/20 क्षेत्र। (ग) पूह उप-संभाग, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर।
		(3) कुल्लू जिला निरमांद तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें खरगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
		(4) लाहौल और स्पीति जिला लाहौल और स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र।
		(5) शिमला जिला रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा और चांदी-ब्रंदा पंचायतें शामिल हैं।
4.	**जम्मू और कश्मीर**	**1. कठुआ जिला** निआबत बानी, लोही, मल्हार और मछोदी।
		2. ऊधमपुर जिला (क) डूडू बसंतगढ़, लैंडर भामग इलाका, थाकराकोटे और नगोटे। (ख) भाग 'ख' में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर माहौर तहसील के सभी क्षेत्र।
		3. डोडा जिला कश्मीर तहसील में पड्डर और नियाबत नौगाम के इलाके।
		4. लेह जिला (क) नोयम और नोबरे (ख) जंसकर

		(ग) जिले के अन्य सभी स्थान।
		5. बारामूला जिला संपूर्ण गुरेज-निराबल, तंगडार उप-संभाग और केरन इलाका।
5.	**लक्षद्वीप**	संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र
6.	**मिजोरम**	चिम्पतुईपुई जिला और लुंगलेई जिले में लुंगलेई कस्बे से 25 कि.मी. आगे के क्षेत्र।
7.	**सिक्किम**	संपूर्ण राज्य।
8.	**उत्तराखण्ड**	चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के क्षेत्र।

अनुबंध-II

दुर्गम स्थल भत्ते-I में सम्मिलित विशेष प्रतिकर (सुदूर स्थल) भत्ता प्रदान किए जाने के लिए पात्र क्षेत्र

भाग 'क' में शामिल किए गए क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य का नाम	शामिल किए गए क्षेत्र
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	**दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)**
2.	अरुणाचल प्रदेश	कठिन क्षेत्रों के रूप में घोषित क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश।
3.	हिमाचल प्रदेश	**1. चंबा जिला** भाग 'क' में शामिल पंचायतों और गांवों को छोड़कर भरमौर तहसील।
		2. कांगड़ा जिला बड़ा भांगल और छोटा क्षेत्र
		3. किन्नौर जिला भाग 'क' में शामिल किए गए क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण जिला
		4. शिमला जिला (क) डोदरा-कावर तहसील (ख) रामपुर में दरकली की ग्राम पंचायतें, काशपथ तहसील और मुनीश (ग) परगना सारहां की घोरी चाईबीस
4.	जम्मू और कश्मीर	**1. उधमपुर जिला** माहोर तहसील में कम्बन साइड से गोयल तक का क्षेत्र और केअसी साइड से अरनास तक का क्षेत्र
		2. बारामूला जिला माछिल
5.	मिजोरम	लुंगलेई कस्बे से 25 कि.मी. से आगे के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण लुंगलेई जिला
6.	नगालैंड	संपूर्ण राज्य
7.	त्रिपुरा	त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र

अनुबंध-III

दुर्गम स्थल भत्ते-I में सम्मिलित विशेष प्रतिकर (सुदूर स्थल) भत्ता प्रदान किए जाने के लिए पात्र क्षेत्र

भाग 'ग' में शामिल किए गए क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य का नाम	शामिल किए गए क्षेत्र
4.	हिमाचल प्रदेश	**1. चंबा जिला** (क) भारतीयत तहसील में झंडरु पंचायत (ख) चुरह तहसील (ग) डलहौजी टाउन (बानीखेत खास सहित)
		2. कुल्लू जिला (क) बाहरी सेराज (निरमंद तहसील में जकात-खाना और बुराउ गांवों को छोड़कर) (ख) संपूर्ण जिला (बाहरी सेराज क्षेत्र और पंद्राबीस परगना को छोड़कर किंतु निरमंद तहसील के जकात-खाना और बुराउ गांवों को शामिल करते हुए)
		3. मंडी जिला (क) छुहार घाटी (जोगिन्दरनगर तहसील) (ख) थुनाग तहसील में निम्नलिखित पंचायतें: बागड़ा, छतरी, छोटधर, गारागुसांई, गाटू, धारयास, जांझेली, जरयार, जोहर कलहानी, कलवन, खोलानल, लोठ, सिलिबागी, समाचन, थाचधर, ताची और थाना। (ग) धरमपुर ब्लॉक की निम्नलिखित पंचायतें: बिंगा, कमलाह, सकलाना, तन्यार और ताराकोला (घ) कारसोग तहसील की निम्नलिखित पंचायतें: बालीधार, बागड़ा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुदी, मांज, पेखी, सैंज, सराहन और तेबान (ङ) सुंदरनगर तहसील की निम्नलिखित पंचायतें: बोही, बतवाड़ा, धन्यारा, पौड़ा-कोठी, सेरी और शोजा।
		4. कांगडा जिला (I) धर्मशाला कस्बा और उसकी नगरपालिका सीमाओं के बाहर स्थित लेकिन विशेष प्रतिकर (सुदूर स्थल) भत्ते की पात्रता के प्रयोजनार्थ धर्मशाला कस्बे में शामिल निम्नलिखित कार्यालयः (क) महिला आईटीआई, दारी (ख) यांत्रिक कार्यशाला, रामनगर (ग) बाल कल्याण और नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, सकोह (घ) छोटे सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय। (ङ) कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, डुगियार (च) एच.आर.टी.सी. कार्यशाला, सुधेर (छ) क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय, दारी

		(ज) वन निगम कार्यालय, शामनगर (झ) चाय फैक्टरी, दारी (ञ) आई.पी.एच उप-संभाग, दारी (ट) बंदोबस्त कार्यालय, शामनगर (ठ) बिनवा परियोजना, शामनगर (II) पालमपुर में एचपीकेवीवी परिसर सहित पालमपुर कस्बा तथा उसकी नगरपालिका सीमाओं के बाहर स्थित लेकिन इस प्रयोजनार्थ पालमपुर कस्बे में सम्मिलित निम्नलिखित कार्यालयः (क) हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय परिसर। (ख) मवेशी विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बनूरी (ग) रेशम-उत्पादन कार्यालय/भारत-जर्मनी कृषि कार्यशाला/ हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग प्रभाग, बुंदला (घ) विद्युत उप-मंडल, लोहना (ङ) डी.पी.ओ. कारपोरेशन, बुंदला (च) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल, घुग्गर
		5. शिमला जिला (I) (क) चौपाल तहसील (ख) (i) परगना सराहन के घोरिस, पंजगांव, पतसनऊ, नौबीस और तीन कोठी (ii) तकलेश क्षेत्र की देवती ग्राम पंचायत (iii) परगना बाराबीस (iv) रामपुर तहसील के परगना रामपुर का कस्बा रामपुर और घोरी नोग (II) शिमला कस्बा और इसके उपनगर (धल्ली, जतोग, कसुम्पति, मशोबरा, तारादेवी और तूतू)
		6. सिरमौर जिला (क) निम्निलिखित पंचायतें: (i) बानी, बखाली (पाछड़ तहसील) (ii) भरोग, भेनेरी (पोंटा तहसील) (iii) बिड़ला (नाहन तहसील) (iv) दिब्बेर (पाछड तहसील) (v) थाना कसोगा (नाहन तहसील) (ख) थांसगिरी ट्रैक्ट
		सोलन जिला मंगल पंचायत
2.	**जम्मू और कश्मीर**	(क) पुंछ और रजौरी कस्बों को छोड़कर पुंछ और रजौरी जिले के क्षेत्र तथा दो जिलों के सुंदरबानी और अन्य शहरी क्षेत्र। (ख) ऐसे क्षेत्र जो उपर्युक्त भाग 'क', 'ख' और भाग 'ग' के (क)

		में शामिल नहीं किए गए हैं लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि.मी. की दूरी के अंदर हैं अथवा ऐसे स्थानों पर हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए सीमा भत्ते के लिए समय-समय पर पात्र घोषित किया जा सकता है।
3.	**मणिपुर**	संपूर्ण राज्य
4.	**मिजोरम**	संपूर्ण आइजोल जिला
5.	**त्रिपुरा**	कठिन क्षेत्रों के रूप में घोषित और भाग 'ख' में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राज्य

दुर्गम स्थल भत्ते-III में सम्मिलित विशेष प्रतिकर (सुदूर स्थल) भत्ता प्रदान किए जाने के लिए पात्र क्षेत्र

भाग 'घ' में शामिल किए गए क्षेत्र

1.	असम	संपूर्ण राज्य
2.	हिमचाल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो भाग 'क', 'ख' और 'ग' में शामिल नहीं हैं।
3.	मेघालय	संपूर्ण राज्य